

पत्र संख्या-वन भूमि-03/2016- 2166

व०प०

**झारखण्ड सरकार**

**वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग**

प्रेषक,

**सुनील कुमार,**  
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सचिव,  
भारत सरकार,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड,  
अलीगंज, नई दिल्ली-110003

राँची, दिनांक- 23/05/2017

**विषय:- सी०सी०एल० की कोनार वाशरी एवं अन्य परियोजना हेतु 68.40 हे० वन भूमि का अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1036 दिनांक-18.11.2016, पत्रांक-110 दिनांक-07.02.2017 एवं पत्रांक-278 दिनांक-10.04.2017 से प्राप्त प्रस्ताव मूल में एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) संलग्न है। विषयक प्रस्ताव के संदर्भ में वस्तुस्थिति निम्नवत् है :-

(1) प्रस्तावित वनभूमि की विवरणी निम्नवत् है :-

प्रमंडल का नाम	अधिसूचित वनभूमि का रकबा (हे० में)	गैरमजरूआ खास जंगल-झाड़ी वनभूमि (हे० में)	कुल प्रस्तावित वनभूमि का रकबा (हे० में)
बोकारो वन प्रमंडल	65.90	2.50	68.40

उक्त प्रस्तावित कोनार वाशरी एवं अन्य परियोजना हेतु निम्न Activity के लिए भूमि का अपयोजन प्रस्तावित है :-

Activity	Area (in ha)
Power Plant	30.00
Washery	20.92
Safety Zone	5.18
Green Zone	12.30
<b>Total</b>	<b>68.40</b>

(2) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Justification for locating project on proposed land के कॉलम के विरुद्ध निम्नांकित सूचना दी गई है :-

“ The coal seam is being a site specific, for which mining plan is approved, falls underneath the forest land proposed for diversion. Therefore, location cannot be changed.”

(3) Details of alternatives examined के संबंध में नोडल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि 15 कि०मी० के इलाका में कोई अतिरिक्त साईट उपलब्ध नहीं है।

- (4) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित Form A Part-I प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
- (5) 1:50,000 स्केल के टोपोशीट पर लोकेशन मैप प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
- (6) प्रस्तावित वनभूमि का Cadestral Map की छायाप्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
- (7) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित NPV एवं C.A. का लागत लाभ वहन करने संबंधी वचनबद्धता संलग्न है।
- (8) वन प्रमंडल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमंडल की अनुशंसा Part-II में दी गई है।
- (9) वन प्रमंडल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमंडल द्वारा दिया गया स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।
- (10) क्षतिपूरक वनरोपण हेतु Land Suitability Certificate संलग्न है।
- (11) क्षतिपूरक वनरोपण का प्राक्कलन, टोपोशीट पर नक्शा एवं मौजा का नक्शा संलग्न है।
- (12) प्रस्तावित वनभूमि पर वनस्पति घनत्व 0.7 प्रतिवेदित है।
- (13) प्रस्ताव के पार्ट-II की कंडिका-4(ii) में प्रस्तावित वनभूमि पर अवस्थित वृक्षों की विवरणी Upload करते हुए संशोधित Part-II की Hard Copy उपलब्ध कराई गई है। प्रस्ताव के साथ संलग्न सूची के अनुसार प्रस्तावित वनभूमि पर 18137 वृक्ष अवस्थित है।
- (14) प्रस्ताव में सन्निहित 2.50 हे० जंगल झाड़ भूमि से संबंधित मौजा-गोविन्दपुर एवं बेरमों से संबंधित अनापति प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
- (15) FRA, 2006 के तहत संबंधित उपायुक्त द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र (ग्राम सभा की कार्यवाही के साथ) प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
- (16) इस परियोजना से संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित Land Schedule संलग्न है।
- (17) क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का DGPS एवं Kml File (CD) के रूप में संलग्न है।
- (18) प्रस्तावित परियोजना के संबंध में मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड का मंतव्य प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
- (19) Part-III में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो की अनुशंसा संलग्न है।
- (20) Part-IV में नोडल पदाधिकारी का मंतव्य संलग्न है।

वर्णित स्थिति में राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ विषयक 68.40 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :-

- (क) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।
- (ख) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के अनुरूप प्रस्तावित वनभूमि के NPV का भुगतान करना प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।
- (ग) प्रयोक्ता अभिकरण को प्रस्तावित वनभूमि के दोगुणे अवकृष्ट वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि का भुगतान करना होगा।
- (घ) अन्य मानक शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के लिए बाध्यकारी होगा।  
कृपया विषयक प्रस्ताव में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(सुनील कुमार)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-वन भूमि-03/2016- 2166

व०प०, राँची, दिनांक- 23/05/17

प्रतिलिपि-अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय-राँची, झारखण्ड-834002 को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोक्त।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-वन भूमि-03/2016- 2166

व०प०, राँची, दिनांक- 23/05/17

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/उप महाप्रबंधक (पर्यावरण एवं वन), सी०सी०एल०, दरभंगा हाउस, झारखण्ड-834001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

## PART – V

(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)


*Diversion of 68.40 ha of Forest Land for Construction of Konar Washery in favour of CCL.*

### **18. Recommendation of the State Government**

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

*Recommended for diversion of 68.40 ha of Forest Land with conditions as stated in the forwarding letter no. 2166 dated-23.05.2017.*

Signature :



Name & Designation : Sunil Kumar  
(Dy. Secretary)  
Forest, Environment & Climate  
Change Department

**उप सचिव**

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
झारखण्ड, राँची

(Official Seal)

Date : 23/05/2017

Place : Ranchi